10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

10.2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं जहाँ अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

10.3 अनारक्षित एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्र तत्पश्चात् स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

11.2 स्नातक अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्रों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान उसके निवास स्थान तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है तो ऐसे आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य अपने नगर/तहसील/जिला की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दे सकते हैं।

आवेदकों के निवास स्थान/ तहसील/जिला में स्थित या आस–पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आव`दित विषय/समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।

12. आरक्षण – छ.ग. शाासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् –

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वत ंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3ः स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के 5ः स्थान आरक्षित रहेगें।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30ः स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन मेंनियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता हैं, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा।

1/2 प्रतिशत एवं 1: के बीच आने वाले पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.8 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।

12.9 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15/04/2014 की कंडिका 129 (3) में यह निद`श दिया गया है कि–

"We direct the centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extent all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments" का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने वाले/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर – 10 प्रतिशत

कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 13.3 खेलकूद/साहित्यिक सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा संचालनालय आयोजित अन्तर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 4 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त क ंडिका 13.3 (1) (उल्लेखित संचालनालयों द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय) प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 6 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 7 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 5 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय सरकार द्वारा आयोजित

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में